एनएस-एमआईएस 0 ओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत के प्रेस महापंजीयक
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांकः 07.04.2025

2025 की एडवाइजरी संख्या 10

विषयः- प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण (पी.आर.पी.) अधिनियम, 2023 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में।

जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अनुसार प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिला मैजिस्ट्रेट) की टिप्पणियांअपेक्षितहैं। तद्नुसार, देश में **785 जिलों** में से **777 जिलों** के निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रेस सेवा पोर्टल पर सम्मिलित (ऑन-बोर्ड) किए गए हैं। इन निर्दिष्ट प्राधिकारियों को पी.आर.पी.ए. के प्रावधानों के अनुसार प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए उनके सरकारी ईमेल पर लॉगइन क्रेडेंशियल (यूजरनेमतथा पासवर्ड) प्राप्त हुए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारियों को प्रेस सेवा पोर्टल पर प्राप्त हुए आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई है।

2. इसके अलावा, नीचे दर्शाए गए 8 जिलों को सरकारी ईमेल आईडी (gov.in/nic.in) की अनुपलब्धता के कारण प्रेस सेवा पोर्टल पर अब तक सम्मिलित नहीं किया जा सका है। **यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पी.आर.पी. अधिनियम के अधिसूचित नहीं होने की स्थिति में भी संबंधित जिले के जिला मैजिस्ट्रेट आवेदनों को तैयार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी होंगे। इस केन्द्रीय अधिनियम के कारण सभी जिलों के जिला मैजिस्ट्रेट प्रेस सेवा पोर्टल पर नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन तैयार करने के लिए डिफाल्ट रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी घोषित किए गए हैं।** अतः इन जिलों के प्रकाशकों कोसलाह दी जाती है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल पर सम्मिलित होने के लिए अपेक्षित ब्यौरे (आधारकार्ड के अनुसार नाम, सरकारी जीओवी/एनआईसी ईमेल आईडी, सरकारी दूरभाष नंबर) को साझा करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों/निर्दिष्ट प्राधिकारियों से सीधे ही मिलें/उनसे अनुरोध करें।

3. निम्नलिखित जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने ब्यौरों को ईमेल आईडी : newsprint-rni@nic.in पर साझा कर सकते हैं।

जिलों की सूची

1. पक्का केसांग – अरूणाचल प्रदेश
2. लौंगट्लेई – मिजोरम
3. मामित – मिजोरम
4. सइहा – मिजोरम
5. शामोटोर – नागालैंड
6. फेक – नागालैंड
7. पूंछ – जम्मू और कश्मीर
8. चित्तूर – आंध्रप्रदेश

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रजित चन्द्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक

https://prgi.gov.in